न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 93/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सीताराम पुत्र श्री किशन जाति माली निवासी नया दरवाजा तहसील व जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2किशनसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी डेगाना। 3बलदेवराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी मानासर नागौर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानाराम सारस्वत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री शिवचन्द पारीक, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 12.12.2017

(1)–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 16/2016 सरकार बनाम सीताराम में मौजा नागौर के खसरा सं. 130, 127 व 128 रकबा 13.10 बीघा भूमि किस्म गै. मु. खड्डा, अंगोर, सडक पर अतिक्रमण मानते हुए जुर्माना व बेदखली से संबंधित पारित निर्णय दिनांक 12.02.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.04.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री शिवचन्द पारीक अधिवक्ता उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

(2)(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के खिलाफ होने एवं सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

(2)(II)–विवादित आराजी अपीलार्थी सीताराम ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को आधी आधी भूमि दिनांक 9.8.2005 को जरिये एग्रीमेन्ट टू सेल के विक्रय कर दी तब से कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 का है। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी तहसीलदार नागौर को रही है तथा अपीलार्थी ने भी उक्त तथ्यों का पूर्ण रूप से उल्लेख किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो निर्णय विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

(2)(III)–उक्त भूमि को अपीलार्थी द्वारा विक्रय करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने एक दीवानी मूल वाद बाबत संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना व स्थायी व्यादेश का वाद पेश किया जो वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 नागौर के यहां विचाराधीन है जिसमें राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर व तहसीलदार नागौर प्रतिवादी पक्षकार है। उक्त वाद के साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन पत्र दीवानी विविध प्रकरण सं. 42/2011 (252/14) किशनसिंह व अन्य बनाम सीताराम व अन्य के अनवान से विचाराधीन रहा जिसमें बाद सुनवायी के न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 नागौर द्वारा दिनांक 6.8.15 को आवेदन पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए वादी प्रार्थीगण 15000/– रू. राज्य हित में अन्डर प्रोटेस्ट स्थानीय बैंक में जमा करा दे। बतौर भूमि के उपयोग एवं उपभोग के बदले और इस आशय की लिखित उद्घोषणा पेश कर दे कि वह न्यायालय के निर्णय अनुसार भूमि का कब्जा राज्य सरकार को स्वयं के खर्चे से संदत कर देगा उक्त दशा में विपक्षीगण सम्यक विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विवादित भूखण्ड से मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार उभय पक्षकारान वाद के निर्णय तक स्थिति में परिवर्तन नही करेगे न ही कोई निर्माण कार्य करेगें और यदि वाद के निर्णय से पूर्व राजस्व मंडल अजमेर में जैर कार रिवीजन नं. 506/06 सीताराम बनाम सरकार का निर्णय हो जाता है तो उक्त दशा में उक्त निर्णय अनुसार विपक्षी सं. 2 व 3 विधि अनुसार आवेदन करने के लिये स्वतंत्र होगे व शेष परिस्थितियों में मौका कमीश्नर रिपोर्ट उक्त आदेश की पालना की जाती है तो मौका रिपोर्ट अनुसार स्थिति में परिवर्तन नही करेगे। प्रार्थीगण वाद

अपर कलक्टर, नागौर

व्यय के अनुसार स्थापित करने के लिये होने वाले व्यय के रूप में भी 5000/– रू. की राशि भी स्थानीय बैंक में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश करे यदि उक्त शर्तो की पालना कर 15 दिवस में रसीद पेश नही करने पर यह आवेदन खारिज माना जावेगा, का आदेश पारित किया जिसमें माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 द्वारा मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौके स्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखने का आदेश दिया व साथ ही प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 पर खर्चा आरोपित किया है। जिसके विरूद्व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा एस.बी. सिविल मिसलिनियन्स अपील सं. 1747/2015 माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2015 को राशि जमा करने के आदेश की हद तक माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 नागौर का आदेश स्थगित किया बाकी आदेश प्रभावी है। इस प्रकार से उक्त राशि जमा कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। शेष आदेश दिनांक 6.08.2015 पूर्ण रूप से प्रभावी है। जिसके अनुसार उभय पक्षकारान को मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर व तहसीलदार स्वयं पक्षकार है तथा भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिसकी प्रति भी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 8.2.16 को तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश की। ऐसी स्थिति में माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 द्वारा पारित स्थगन आदेश पारित है। जो प्रभावी है। जिसमें स्वयं तहसीलदार नागौर पक्षकार होने के कारण उक्त स्थगन आदेश से तहसीलदार नागौर भी पूर्ण रूप से पाबंद है। ऐसी स्थिति में बेदखली आदेश पारित करने का ही अधिकार था तथा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित नही किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश नागौर के आदेश के विपरीत जाकर व माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–पटवारी हल्का द्वारा गै.मु. सडक की भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत नोटिस जारी किया गया है। जबकि सडक मौके पर किसी प्रकार की मौजूद नही है व न ही सडक की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ही किया गया है तथा भूमि पर कब्जा प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 का है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का कब्जा किसी भी प्रकार से अतिक्रमण की श्रेणी में नही आता है तथा भूमि के संबंध में मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। इसलिये उक्त सभी तथ्यों के आधार पर धारा 91 राभूरा अधिनियम की कार्यवाही अपास्त होने योग्य थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–विवादित जायगा में अपीलार्थी का रहवासी मकान व टांका बना हुआ है। जिसमें क्रेतागण अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा उक्त भूमि कभी भी अंगौर के रूप में काम में नही आ रही है व न ही उक्त भूमि का पानी बहकर किसी भी नाडी अथवा तालाब में जाता है व न ही उक्त भूमि के आस पास कोई नाडी या तालाब ही स्थित है व न ही भमि का ढलान नाडी अथवा तालाब की तरफ है व न ही नाडी व तालाब में पानी जाता है तथा मौके पर किसी प्रकार के रास्ते का भूमि कोई अस्तित्व नही है व न ही रास्ते का कोई उपयोग ही होता है व न ही मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता है। रेकर्ड में भूमि का इन्द्राज मौके की स्थिति के विपरीत हुआ है तथा अपीलार्थी का कब्जा राज. टिनेन्सी एक्ट प्रभाव शील में आने से पूर्व से निरंतर रहता आया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा भू प्रबन्ध विभाग में उक्त भूमि की किस्म पूर्व में बन्जड दर्ज रही जिसको गलत रूप से अंगौर व रास्ता दर्ज किया है। जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के किस्म परिवर्तन करने के आदेश के दर्ज किया गया है। जिसका अधिकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों को नही था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी भूमि का नियमन व आवंटन एवं खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी हो गया है उक्त सभी तथ्यों से भूमि काबिल नियमन भूमि है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा वकील अपीलांट की बहस का समर्थन किया गया है।

{3}–रेस्पोडन्ट सं. 1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से अपीलान्ट को नोटिस दिया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित

अपर कलक्टर, नागौर

किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन खड्डा, अंगौर व सडक भूमि है। अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के पश्चात् ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में आराजी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होना रिकार्ड से साबित है। मगर इस आराजी भूमि को लेकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 नागौर के दीवानी विविध प्रकरण सं. /15(42/11)(252/14) किशनसिंह बनाम सीताराम में आदेश दिनांक 6.8.15 के अनुसार मौका कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्षकारान वाद के निर्णय तक स्थिति में परिवर्तन नही करने, कोई निर्माण नही करने को लेकर स्थगन पारित किया गया है। उक्त मौका कमीश्नर की रिपोर्ट क्या है? ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुआ है तथा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत रेकर्ड पर नही लिये गये है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 6.8.15 की वर्तमान स्थिति व उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.9.15 के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये था।

{5}—उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश अपीलाधीन अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑबजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को जवाब, सुनवाई व दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}—निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर